संख्या-421/2018/89/22-2-2018-17(105)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 21 मई, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यपाल पुत्र श्री बहोरन सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-745/प्रोबे0-5-द0या0/बैठक-17-12-2017 दिनांक 05-01-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सत्यपाल पुत्र श्री बहोरन सिंह, निवासी-ग्राम-फहीमपुर, थाना-सिखेड़ा, जनपद- मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी हत्या की रंजिश को लेकर दिनांक 12.01.2000 को 10 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, तमंचा व रायफल से अन्धाधुन्ध फायरिंग करके 08 व्यक्तियों की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-344/2000 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302 /149, 452 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश(ई0सी0 एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18.05.2002 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध योजित अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2003 द्वारा यथावत रखा गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 30.04.2004 द्वारा मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी के 05 अन्य सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 01 सहअभियुक्त मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दोषमुक्त, 04 सहअभिक्त कारागार में सजा भुगत रहे है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.11.2017 तक 15 वर्ष 06 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 01 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति व जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी सत्यपाल (बन्दी संख्या-7319) पुत्र श्री बहोरन सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-421/2018/89(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in